राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56457-56462] **बृहस्पतिवार**, 16 **मार्च**, 2017

सं.56457 *पटल कार्यालय*

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें

उपसभापति ने आज (16-3-2017) सभा में निम्नलिखित घोषणा की:

"मुझे सदस्यों को यह सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने 16 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में सरकारी विधान तथा अन्य कार्यों के लिए निम्नानुसार समय आबंटित किया है:-

	कार्य	**आबंटित समय**
1.	लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा लौटाया जाना:-	**तीन घंटे** *(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)*
	(क) **अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)** 2016-17	
	(ख) **अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)** 2013-14	
2.	लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् वित्त विधेयक, 2017 पर विचार तथा लौटाना।	**तीन घंटे**
3.	लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारण।	
	(क) भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017.	**दो घंटे**
	(ख) पादुका डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017.	**एक घंटा**
	(ग) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017.	**चार घंटे**
	(घ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017	**एक घंटा**

4. राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 में लोक सभा किए गए संशोधनों पर विचार तथा सहमत होना। **बिना चर्चा**

सं.56458 *प्रशिक्षण प्रकोष्ठ*

दिनांक 21 **मार्च**, 2017 **को म. प**. 6.15 **बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में "कार्यरत राज्य सभा" के तीसरे संस्करण का विमोचन**

'कार्यरत राज्य सभा' प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परम्पराओं, पूर्वोदाहरणों, विनिर्णयों और निदेशों का एक संकलन है जो राज्य सभा की कार्यप्रणाली की बारीकियों को समझने में सदस्यों का मार्गदर्शन और सहायता करता है। इस पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम वर्ष 1996 में किया गया था और इसका दूसरा संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित हुआ था।

2. अब इस पुस्तक का तीसरा संस्करण तैयार है और इसका विमोचन राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को म.प. 6.15 बजे मुख्य समिति कक्ष, भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में किया जाएगा।

3. निमंत्रण कार्ड तथा कार्यक्रम का ब्यौरा राज्य सभा के सदस्यों को पहले ही जारी कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें।

सं.56459 *समिति समन्वय अनुभाग*

समितियों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

निम्नलिखित समितियों के लिए नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने और, यदि आवश्यक हो, निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया हैः-

क्रम सं.	समिति का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की सं.	प्रस्ताव के गृहीत होने की तारीख	नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा समय	उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अंतिम तारीख तथा समय
i.	लोक लेखा समिति	सात	16.03.2017	22.03.2017 (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक)	27.03.2017 (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक)
ii.	सार्वजनिक उपक्रमों सबंधी समिति	सात	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-
iii.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	दस	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-

2. निर्वाचन की तारीख, समय और स्थान (यदि आवश्यक हो): 06.04.2017 (समिति कक्ष सं. 63, प्रथम तल, संसद भवन में म.पू. 11:00 से म.प. 2:00 बजे के मध्य)।

3. निर्वाचन की प्रक्रिया : एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

सं.56460 *विधायी अनुभाग*

सरकारी संकल्प

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित संकल्प की सूचना दी है, जिसे गृहीत कर लिया गया है:-

"यह सभा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) और अनिवार्य विवाचन संबंधी योजना के पैरा 21 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1.1.1996 से 31.7.1997 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन के संदर्भ में पूर्व-संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता प्रदान करने के संबंध में विवाचन बोर्ड द्वारा 06 अप्रैल, 2004 को 2002 का सी.ए. संदर्भ मामला संख्या 2 में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रूपए का व्यय अन्तर्ग्रस्त है, दुर्लभ संसाधनों का विकास व्यय से गैर-उत्पादक व्यय में विपथन होगा और इस प्रकार इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

सं.56461 *समिति अनुभाग (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति)*

परिनियत प्रस्ताव

निम्नलिखित प्रस्ताव जिसकी सूचना श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य और श्री रीताब्रता बनर्जी, संसद सदस्य द्वारा दी गई है, को गृहीत कर लिया गया है:-

"यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 28 के अनुपालन में, दिनांक 5 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं.एफ.1-2/2009(ईसी/पीएस)/V(I)खंड-II द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 11 अगस्त, 2016 को सभा पटल पर रखे गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का संकल्प करती है:-

1. पृष्ठ 1, विनियम 1.2 में "प्रत्येक संबंध महाविद्यालय एवं जो," शब्दों **के पश्चात्** "आरक्षण संबंधी विधि के अनुरूप हैं और विश्वविद्यालय के संगत अधिनियम के अनुसार अंगीकृत हैं" शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएं और "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान है। " शब्दों **के पश्चात्** "परन्तु यह कि इस विनियम की कोई भी बात केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जहां भी लागू हो, का न तो उल्लंघन करेगी और न ही ऐसा कोई संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा।" शब्द **जोड़े** जाएं;

2. पृष्ठ 3, विनियम 5.2.1, पंक्ति 2, "दाखिला देगा" शब्दों **के पश्चात्** "विश्वविद्यालयों के अधिनियम के अनुसरण में "**अंत:स्थापित** किया जाए;

3. पृष्ठ 3, विनियम 5.2.1, पंक्ति 2, "उपलब्ध" शब्द **के स्थान पर** "संस्वीकृत संकाय संख्या" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

4. पृष्ठ 3, विनियम 5.2.1, निम्नलिखित को **हटा** दिया जाए:

", तथा विद्वान शिक्षक अनुपात (जैसा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, गंथालया तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा";

5. पृष्ठ 3, विनियम 5.2.3, "राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें" शब्दों **के पश्चात्** "परन्तु यह है कि इस विनियम की कोई भी बात केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं करेगीं" शब्द **अंत: स्थापित** किए जाएं।

6. पृष्ठ 3, विनियम 5.3, "संबंधित सांविधिक निकायों" शब्दों **के पश्चात्** "संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप"शब्द **अंत: स्थापित** किए जाएं;

7. कि पृष्ठ 3, विनियम 5.3 के अंत में निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:

" परंतु यह कि इस विनियम की कोई भी बात, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जहां लागू हो, का न तो उल्लंघन करेगी और न ही ऐसे किसी संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा";

8. यह कि पृष्ठ 3, विनियम 5.4.1 में निम्नलिखित "50 % अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50 % शोध पद्धति तथा 50 % विषय-परक के प्रश्न पूछे जाएंगे" **के स्थान पर** "और वह अनुसंधान अभिरूचि और विषय के ज्ञान की परीक्षा करेगा। मौखिक परीक्षा की तुलना में लिखित परीक्षा का महत्व संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों और संविधियों और देश के कानून के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

9. पृष्ठ 3, विनियम 5.4.2 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:-

"5.4.3 संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय लिखित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के सापेक्षिक अधिमान को निर्धारित करने के लिए औचित्यपूर्ण और अपक्षपातपूर्ण ढ़ग से मानदण्ड अपनाएगा।

5.4.4 अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल संयुक्त अंकों से उस कार्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु मेरिट सूची को निर्धारित किया जाएगा। प्रवेश के प्रत्येक स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा।"

10. पृष्ठ 3, विनियम 6.1 में पंक्ति 1, 3 और 5 में "संदर्भित" शब्द को **हटा** दिया जाए।

11. पृष्ठ 4, विनियम 6.5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:

"किसी एक समय के दौरान कोई शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार अंगीकृत न्यूनतम एक और अधिकतम तीन एम.फिल; और न्यूनतम छह और अधिकतम बारह पीएच.डी शोधार्थियों का पर्यवेक्षण कर सकता है। परंतु यह कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी बात, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जहां लागू हो, का न तो उल्लंघन करेगी और न ही ऐसे किसी संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा।"

और

यह कि यह सभा लोक सभा से यह सिफारिश करती है कि लोक सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो।

सं.56462 *समिति अनुभाग (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति)*

परिनियत प्रस्ताव

निम्नलिखित प्रस्ताव जिसकी सूचना श्री हुसैन दलवई, संसद सदस्य और श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य द्वारा दी गई है, को गृहीत कर लिया गया है:-

"यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 28 के अनुपालन में, दिनांक 5 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं.एफ.1-2/2009(ईसी/पीएस)/V(I)खंड-II द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 11 अगस्त, 2016 को सभा पटल पर रखे गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम को रद्द करने का संकल्प करती है; और

कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो।"

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।